

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/24/2015/19/यो 5816

भोपाल दिनांक 29 / 09 / 2015

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक।

---0---

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक जो दिनांक 28.08.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	हरदा	24/5054	मसनगांव हण्डिया व्हाया गांगला डोमनमउ छिंदवांव रेलवा अजनास डुमलाय मार्ग	23.50	990.20
2	हरदा	24/5054	गुल्लास नांदरा आदमपुर जुगरिया हण्डिया मार्ग	16.00	996.20
3	रीवा	24/5054	पडरा गढ़वा मार्ग कि. मी. 14/2 से 16/5 तक	2.60	138.55
4	बालाघाट	42/5054	बुटरभारा से खारा छिंदगांव मार्ग	6.00	259.97
5	शिवपुरी	24/5054	बनखेड़ा से कसार बामौरकला मार्ग	3.00	247.18
6	शिवपुरी	24/5054	पिपारा से भौती मार्ग	8.15	638.36
7	शिवपुरी	24/5054	तिघारी से बामौरडामरोन मार्ग	5.80	489.45
8	छिंदवाड़ा	24/5054	छिंदवाड़ा जिले में चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य	-	779.84
9	देवास	24/5054	देवास जिले में हाटपिपल्या बिलावली सामंगी कमलापुर मार्ग पर कालीसिंध नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	-	509.22

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारम्भिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।


3/ उक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाय।

(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-09 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस0 के0 कुलकर्णी) 23/9/15

उप सचिव


म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

भोपाल दिनांक 22/09/2015

पृ0 क्रमांक एफ-43/24/2015/19/यो 5817
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 2 मुख्य अभियंता (सेतु परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 3- मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
- 4- मुख्य अभियंता (रीवा परि0) लोक निर्माण विभाग रीवा।
- 5- मुख्य अभियंता (मध्य परि0) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
- 6- निज सचिव, मान0. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 06 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य



उप सचिव

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/24/2015/19/यो 5818
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/09/2015

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक जो दिनांक 28.08.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार कार्य की लागत 1.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट पुस्तिका में प्रकाशित करवाना आवश्यक न होने के कारण दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति-प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	गुना	24/5054	रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मायनर ब्रिज आर. सी. सी. स्लेब विथ एप्रोच रोड इन कि. मी. 1/10 एट बीनागंज चाचौड़ा रोड	-	63.05
2	भोपाल	67/4059	विद्या भारती अखिल भारती शिक्षा संस्थान सी-13 शिवाजी नगर भोपाल में मीटिंग हॉल एवं शौचालय का निर्माण	-	17.23
3	रीवा	24/5054	सर्विस रोड रीवा गडडी मुख्य जिला मार्ग से खौर नहर पहुंच मार्ग।	1.70	54.30


2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 67/4059 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाइट पर डाला जाय।
(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-03 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस0 के0 कुलकर्णी) 23/9/15
उप सचिव

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0


/2/

पृ० क्रमांक एफ-43/24/2015/19/यो 5819
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 23/09/2015

- 1- मुख्य अभियंता, (राज० परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 2- मुख्य अभियंता (उत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
- 3- मुख्य अभियंता (रीवा परि०) लोक निर्माण विभाग रीवा।
- 4- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 04 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


23/9/15

उप सचिव

म०प्र० शासन ल०नि०वि०

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/24/2015/19/यो 5820
पति,

भोपाल दिनांक 23/09/2015

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक जो दिनांक 28.08.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद एवं सिंहस्थ मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	डिण्डोरी	42/5054	शाहपुर बालपुर रमपुरी बहेरा धनवासी मार्ग	7.06	371.26
2	उज्जैन	78	मुंगी चौराहा से कोठी रोड़, कोठ रोड़ से देवास रोड़ ज्हाया विक्रम किर्ती मंदिर एवं युनिवर्सिटी गेस्ट हाउस रोड़ नवीनीकरण (सिंहस्थ मद)	4.10	132.69
3	उज्जैन	78	मुंगी चौराहे से तीन बत्ती चौराहा देवास रोड़ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (सिंहस्थ मद)	1.20	550.38
4	उज्जैन	78	मंगलनाथ मंदिर के द्वितीय फेस का उन्नतीकरण का कार्य (सिंहस्थ मद)	0.00	953.94

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 42/5054 एवं 78 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।


3/ उक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाय।

(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-04 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस0 के0 कुलकर्णी) 23/9/15

उप सचिव

म0प्र0 शासन लो०नि०दि०


पृ० क्रमांक एफ-43/24/2015/19/यो 5821

भोपाल दिनांक 23/09/2015

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता, (मध्य परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल। जयपुर
- 2- मुख्य अभियंता (उज्जैन परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल। उज्जैन
- 3- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य



उप सचिव

23/9/15

प्रा. शासन लॉ०नि०वि०

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/24/2015/19/यो 5820
प्रति,

भोपाल दिनांक 23/09/2015

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद एवं सिंहास्थ मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	डिण्डोरी	42/5054	शाहपुर बालपुर रगपुरी बहेरा धनवासी मार्ग	7.06	371.26
2	उज्जैन	78	मुंगी चौराहा से कोठी रोड़, कोठी रोड़ से देवास रोड़ ज्हाया विक्रम किर्ती मंदिर एवं युनिवर्सिटी गेस्ट हाउस रोड़ नवीनीकरण (सिंहास्थ मद)	4.10	132.69
3	उज्जैन	78	मुंगी चौराहे से तीन बत्ती चौराहा देवास रोड़ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (सिंहास्थ मद)	1.20	550.38
4	उज्जैन	78	मंगलनाथ मंदिर के द्वितीय फेस का उन्नतीकरण का कार्य (सिंहास्थ मद)	0.00	953.94

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 42/5054 एवं 78 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।


4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाय।

(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-04 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(एस0 के0 कुलकर्णी)

23/9/15

उप सचिव

म0प्र0 शासन लो०नि०दि०

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/24/2015/19/यो - 7838

भोपाल दिनांक 26/12/2015

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 122वीं बैठक जो दिनांक 28.08.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	रतलाम	42/5054	बिरमावल से रेनमउ फाटा मार्ग	9.00	854.26
2	झाबुआ	42/5054	पिटोल (होटल प्रेमछाया) से मलवन मार्ग	5.92	477.14

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक बजट में मांग संख्या 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।


3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाय।

(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-02 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस0 के0 कुलकर्णी) 26/12/15
उप सचिव


म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

/2/

पृ० क्रमांक एफ-43/24/2015/19/यो-7839 भोपाल दिनांक 26/12/2015
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता, (उज्जैन परि०) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
- 2- मुख्य अभियंता (पश्चिम परि०) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
- 3- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एच आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


उप सचिव 26/12/15
सू०प्र० शासन लो०नि०वि०